

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एवं जिला कलक्टर मुकाम करौली
अजय कुमार मीना पता वैज्ञानिक डी, संयुक्त बीजलेख ब्यूरो(जे.सी.बी.) रक्षा अनुसंधान और विकास
संगठन (डीआरडीओ) मेट काफ हाउस, सिविल लाईस, नई दिल्ली 110054 – अपीलाण्ट

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति हिण्डौन

– रेस्पोंडेण्ट

मु.नं. 28/19 किस्म मुकदमा-अपील सूचना का अधिकार अधि. 2005

ता.रजु 11.11.2019

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
11.11. 2019	<p>अपीलाण्ट द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति हिण्डौन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) तहत आवेदन प्रेषित कर "ग्राम पंचायत दानालपुर हिंगोट में अब तक चुनी गयी सभी पंचायतों (वर्ष 1959 से 2019 तक) के संदर्भ में कल चार बिन्दुओं की सूचना चाही गयी थी"। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के विरुद्ध यह प्रथम अपील पेश की है।</p> <p>अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौन द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण यह अपील पेश की है। लोक सूचना अधिकारी एवं विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डौन के प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर नहीं है। अतः अपील अस्वीकार की जाती है। अपीलार्थी संबंधित विभाग के प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में अपील पेश कर सकता है। निर्णय की प्रति अपीलाण्ट को भिजवाई जावे। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।</p> <p style="text-align: center;">प्रथम अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, करौली</p>	

